



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आश्विन 1945 (श10)

(सं0 पटना 845) पटना, मंगलवार, 17 अक्टूबर 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

16 अक्टूबर 2023

एस० ओ० 342, दिनांक 17 अक्टूबर 2023--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम- 12, 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक को अधिसूचित करते हैं जिससे ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण किया जाना अपेक्षित है जो उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त व्यक्ति कहा गया है) द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की पूर्ति के संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अर्थात्:-

- इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की किसी अंतर-राज्यीय पूर्ति को अनुज्ञात नहीं करेगा ;
- इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करेगा और उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार सरकार को संदाय करेगा ; और
- इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति के ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटीआर-8 में विवरण के रूप में प्रस्तुत करेगा ।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी ।

[(सं०सं०- बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड17) 3715)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

16 अक्टूबर 2023

एस० ओ० 342, दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-17) 3715)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 16th October 2023

S.O. 342, Date 17th October 2023-- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies the electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 as the class of persons who shall follow the following special procedure in respect of supply of goods made through it by the persons paying tax under section 10 of the said Act (hereinafter referred to as the said person), namely: —

- (i) the electronic commerce operator shall not allow any inter-State supply of goods through it by the said person;
- (ii) the electronic commerce operator shall collect tax at source under sub-section (1) of section 52 of the said Act in respect of supply of goods made through it by the said person and pay to the Government as per provisions of sub-section (3) of section 52 of the said Act; and
- (iii) the electronic commerce operator shall furnish the details of supplies of goods made through it by the said person in the statement in **FORM GSTR-8** electronically on the common portal.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2023.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-17) 3715)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 845-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>